संख्या– / /XXVII(7)02/2010

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादूनः दिनांक 11 अक्टूबर, 2017

विषयः पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार संशोधन–पूर्व वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे राज्य सरकार के कार्मिकों, स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राजकीय विश्वविद्यालयों तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कार्मिकों को अनुमन्य मंहगाई भत्तें की दरों का पुनरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन आहरित कर रहे कार्मिकों को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1(3)/2008–ई.II(बी) दिनांक 07 अप्रैल, 2017 के कम में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–100/XXVII(7)02/2010 दिनांक 04 मई, 2016 में उल्लिखित मंहगाई भत्ते की वर्तमान में देय 245 प्रतिशत महंगाई भत्ते की दरों में निम्नवत् वृद्धि किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

क0सं0	महंगाई भत्ते की स्वीकार्य दर	देय/प्रभावी तिथि
1	मूल वेतन का 256 प्रतिशत	दिनांक 01 जुलाई, 2016
2	मूल वेतन का 264 प्रतिशत	दिनांक 01 जनवरी, 2017

3. शासनादेश संख्या–1–1599/ दस–42 (एम)/97, 23, नवम्बर, 1988 के प्रस्तर–3, 4, 5 एवं 07 में उल्लिखित शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू होंगे।

4. उक्त कार्मिकों को पुनरीक्षित मंहगाई भत्ता दिनांक 01 जुलाई, 2016 से 31 अगस्त, 2017 तक (सेवानिवृत्त एवं 6 माह के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को छोड़कर) की बढ़ी हुई धनराशि उनके भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी तथा दिनांक 01 सितम्बर, 2017 से नकद भुगतान किया जाएगा। अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के अवशेष (एरियर) देयक में से 10 प्रतिशत पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से संबंधित खाते में जमा की जायेगी।

5. उक्त वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उपरोक्तानुसार स्वीकृत मंहगाई भत्ता अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी अनुमन्य होगा।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्या– /80 /XXVII(7)02/2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग/शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उपक्रम/निकाय के कार्मिकों को उक्तानुसार बढ़ी हुई दरों पर महंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
10. वित्त अधिकारी/कुलसचिव, समस्त राजकीय विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
11. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं–261, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली–110001।
13. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, देहरादून।
14. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड।
15. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
16. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।